महात्मा गांधी विश्वविद्यालय एवं अन्य

बनाम

जी.आई.एस. जोस एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 5550/2008)

8 सितंबर, 2008

[अशोक भान एवं वी.एस. सिरपुरकर, जे.जे.]

शिक्षा - परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश - विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए प्रवेश नियमों का उल्लंघन - प्राचार्य द्वारा छात्र को पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षा देने की अनुमति देना - की वैधता - माना गया: अवैध - गलत सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए... नियमों का पूर्ण उल्लंघन है - इस प्रकार, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश- कि छात्र को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके पास विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बुनियादी योग्यता नहीं थी, को बरकरार रखा गया - खंड पीठ द्वारा पारित आदेश जिसमें विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया कि छात्र के रोके हुए परिणाम को घोषित करें, अपास्त किया गया।

प्रतिवादी ने अपनी योग्यता परीक्षा में एम.एससी. के लिए न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले कम अंक प्राप्त किए तथा कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। विश्वविद्यालय ने प्रिंसिपल को प्रतिवादी को दिया गया प्रवेश रद्द करने का निर्देश दिया और पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए उसके आवेदन को भी खारिज कर दिया। हालाँकि, प्रिंसिपल ने प्रतिवादी को एम.एस.सी. पाठ्यक्रम जारी रखने

एवं परीक्षा देने की अनुमति दे दी। इसके पश्चात, शैक्षणिक सलाहकर्ता ने एमएससी की पढ़ाई जारी रखने के प्रतिवादी के अनुरोध को खारिज कर दिया तथा उसे एक मेमो भेजा। प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया क्योंकि उसके पास पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बुनियादी योग्यता नहीं थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील की गई।

अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 निर्मम कॉलेज प्रबंधन ने अनियमित प्रवेश दिया और उस प्रवेश के कारण, कम से कम एक छात्र एम.एस.सी. कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश से वंचित रह गया। इसलिए यह प्रतिवादी और अन्य छात्रों के बीच पूर्ण भेदभाव था, जिन्होंने 53.3% अंक भी हासिल किए थे और उन्हें उस आधार पर प्रवेश नहीं दिया गया था। यह समझ में नहीं आता कि ऐसा रास्ता कैसे अपनाया गया होगा। परीक्षा नियंत्रक ने बाद में अप्रैल और जुलाई, 2004 में हुई प्रथम और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया था और फिर भी कॉलेज ने उसे उन सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति दी और उसका प्रवेश भी जारी रखा। यह नहीं माना जा सकता कि छात्रों को इन सभी अनियमितताओं की जानकारी नहीं थी। यह स्पष्ट था कि छात्र और कॉलेज अधिकारी आपस में मिले हुए थे। (पैरा 6) (205-एफ-जी 206-जी-एच)

1.2 इस तथ्य का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि कुलपति ने उसे पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, यदि ऐसी अनुमति दी भी गई तो वह स्पष्ट रूप से गलत थी। इसके बाद हुई अकादमिक परिषद की बैठक में छात्र को कोर्स जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई। खंडपीठ द्वारा आक्षेपित फैसले में इन सभी कारकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए, कम से कम

अकादमिक परिषद द्वारा छात्र के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद, उसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। ऐसा नहीं हुआ और कॉलेज ने उसे तीसरे और चौथे सेमेस्टर की आगे की परीक्षा देने की अनुमति दे दी। ये सब मंजूर नहीं किया जा सकता। (पैरा 7) (206 बी-डी)

1.3 नियमों के पूर्ण उल्लंघन में अनुचित सहानुभूति नहीं दिखायी जानी चाहिए थी। बिलकुल वैसा ही हुआ है। जिस कॉलेज में छात्र को दाखिला दिया गया था, उसने सभी संभावित नियमों का उल्लंघन करते हुए उसे न केवल पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी, बल्कि परीक्षा भी देने की अनुमति दी, जो पूरी तरह से अवैध था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को रद्द किया जाता है और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के रिट याचिका को खारिज करने के निर्णय को बहाल किया जाता है। [पैरा 9, 10 व 11] [206-एफ 207-बी, सी]

सेलिन मैरी मैमन बनाम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और अन्य **सिविल अपील संख्या 689/2004 दिनांक** 03.02.2004 – **विशिष्ट/प्रसिद्ध।**

क्षेत्रीय अधिकारी, सीबीएसई बनाम कु. शीना पीतांबरन और अन्य **2003 (7) एससीसी 719 पर विश्वास किया गया।**

मामला कानून संदर्भः

2003 (7) एस.सी.सी. 719 भरोसा किया पैरा 9

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5550/2008।

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के डब्ल्यू.ए. संख्या 2413/2005 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 07.07.2006 से उत्पन्न।

सी.एस. राजन, एम.टी. जॉर्ज- अपीलार्थी की ओर से।

बी.वी. दीपक (मैसर्स टी.टी.के. दीपक और कंपनी के लिए) उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय वी.एस. सिरपुरकर, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यहाँ एक बार फिर, अनावश्यक सहानुभूति दिखाकर किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामले में शैक्षिक मानकों से समझौता करने के खिलाफ इस न्यायालय की टिप्पणियों को पूरी तरह से अनदेखा करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ आया है, जिसके तहत खंडपीठ ने एक छात्र की अपील को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय को छात्र के रोके गए परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। हालाँकि, दिशा-निर्देश, निश्चित रूप से, एक विशेष मामले के रूप में, कोई पूर्वता पैदा किए बिना थी।

3. ऐसा हुआ कि याचिकाकर्ता, गिस जोस को एम.एस.सी. कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। उसने अपनी योग्यता परीक्षा में कट-ऑफ अंकों की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले केवल 53.3% अंक हासिल किए थे, जो विश्वविद्यालय द्वारा 55% तय किया गया था। जाहिर तौर पर इस तथ्य को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए छात्र को प्रवेश दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा नियंत्रक ने प्राचार्य, बी.पी.सी. को दिनांक 01.11.2004 को एक पत्र, कॉलेज, पिरावोम, एम.एस.सी. कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम में अनियमित प्रवेश की ओर इशारा करते हुए लिखा। यह बताया गया कि अप्रैल और जुलाई, 2004 में क्रमशः प्रथम और द्वितीय

सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए छात्र का आवेदन पहले ही इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि छात्र ने केवल 53% अंक प्राप्त किए थे और उसका प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन में था। फिर भी प्राचार्य ने छात्र को एम.एस.सी. कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम को जारी रखने व पूरा करने और उसकी परीक्षा लिखने के लिए अनुमति दी थी। यह बताया गया कि विश्वविद्यालय इस मामले को बहुत गंभीर मान रहा है और प्रिंसिपल को छात्र को दिया गया प्रवेश रद्द करने और 10 दिनों के भीतर मामले की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। इस पत्र से स्पष्ट है कि पूर्व में 22.04.2004 एवं 26.07.2004 के आवेदन भी विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये थे। अंततः 25.2.2005 को एक ज्ञापन भेजा गया और छात्र को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय से एम.एस.सी. कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम में पढ़ाई जारी रखने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। यह दिनांक 23.12.2004 की अकादमिक परिषद की बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर था, जहां अकादमिक परिषद ने छात्र को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और फिर भी छात्र को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी गई थी जो कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन था।

4. छात्र एक रिट याचिका के माध्यम से केरल उच्च न्यायालय के समक्ष आया, जिसे उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया, क्योंकि छात्र के पास विश्वविद्यालय विनियमों के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बुनियादी योग्यता नहीं थी। यह भी पाया गया कि जब प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन किया गया था, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और यह तथ्य द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा पर भी लागू था, फिर भी छात्र को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी और खंडपीठ ने अपील को स्वीकार किया। उस उद्देश्य के लिए, खंडपीठ ने 2003 के डब्ल्यू.ए. संख्या 1040 में उस न्यायालय के पहले खंडपीठ के निर्णय पर विश्वास जताया। उसमें, खंडपीठ ने यह विचार किया था कि चूंकि छात्र ने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था और परीक्षा दी थी, इसलिए नतीजे घोषित करने होंगे, वहां न्यायालय ने यह भी विचार किया था कि उस समय, छात्र को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। खंडपीठ ने *"असंगतता को ध्यान में रखते हुए"* राहत देने का फैसला किया और आगे कहा कि इससे दूसरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और किसी के लिए भी यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि उसके प्रवेश को अमान्य मानने से, किसी को कुछ भी लाभ होगा। खंडपीठ ने यह भी माना कि छात्र ने अपने अंकों के बारे में गलत बयानी नहीं की थी और फिर भी उसे एक सामान्य छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया था।

6. खंडपीठ ने आगे कहा कि; सख्त दृष्टिकोण "उसके प्रयास के फल को छीनने के कठोर परिणाम हो सकते थे।" खंडपीठ ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि इस तरह के अनियमित दाखिले निर्मम कॉलेज प्रबंधन के लिए बेईमानी का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, और फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छात्र को राहत देने के लिए आगे बढ़े छात्र ने प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दी और पूरा पाठ्यक्रम, पूरा कर लिया था। हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि ऐसा रास्ता कैसे अपनाया जा सकता था। वास्तव में, निर्मम कॉलेज प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से अनियमित प्रवेश दिया था और उस प्रवेश के कारण, कम से कम एक छात्र एम.एस.सी. कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित रह गया था। इसलिए यह प्रतिवादी और अन्य छात्रों के बीच पूर्ण भेदभाव था, जिन्होंने 53.3% अंक भी हासिल किए थे और उन्हें उस आधार पर प्रवेश नहीं दिया गया था। मामला यहीं नहीं रुकता. परीक्षा नियंत्रक ने बाद में अप्रैल और जुलाई, 2004 में हुई पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए

उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया था और फिर भी कॉलेज ने उसे उन सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति दे दी और उसका प्रवेश भी जारी रखा। यह नहीं माना जा सकता कि छात्रों को इन सभी अनियमितताओं की जानकारी नहीं थी। यह स्पष्ट था कि छात्र और कॉलेज अधिकारी आपस में मिले हुए थे।

7. छात्र की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बी.वी. दीपक ने तर्क दिया कि कुलपति ने उसे पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी थी। हालाँकि, इस तथ्य का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा, यदि ऐसी अनुमति दी भी गई तो वह स्पष्ट रूप से गलत थी। इसके बाद हुई अकादमिक परिषद की बैठक में छात्र को कोर्स जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई। खंडपीठ द्वारा आक्षेपित फैसले में इन सभी कारकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए, कम से कम अकादमिक परिषद द्वारा छात्र के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद, उसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। ऐसा नहीं हुआ और कॉलेज ने उसे तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की आगे की परीक्षा देने की भी अनुमति दे दी। हम यह सब पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं।

8. छात्र के विद्वान वकील ने *सेलिन मैरी मैमन बनाम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और अन्य* के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास जताया। *[2004 की सिविल अपील संख्या 689 3.2.2004 को दी गई]*, लाहोटी, जे. द्वारा निर्णय दिया गया। इस तथ्य के अलावा कि उस मामले में तथ्यात्मक स्थिति अलग है, छात्र को अनियमित प्रवेश के संबंध में कोई समय पर नोटिस नहीं दिया गया था जैसा कि वर्तमान मामले में है।

9. नियमों के पूर्ण उल्लंघन में अनुचित सहानुभूति नहीं दिखायी जानी चाहिए थी। हमारी राय में, बिल्कुल यही हुआ है। *क्षेत्रीय अधिकारी, सीबीएसई बनाम कू* मामले

में इस तरह के व्यवहार/आचरण को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। *शीना पीतांबरन और अन्य [(2003) 7 एससीसी 719]*। फैसले के पैराग्राफ 6 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> "6. इस न्यायालय ने पहले भी कई अवसरों पर याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेशों के तहत छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की प्रथा की निंदा की है। ऐसे अधिकांश मामलों में, अंततः यह दलील दी जाती है कि चूंकि पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका था या परिणाम घोषित कर दिया गया था, इसलिए मामला सहानुभूतिपूर्वक विचार करने योग्य है। इसके परिणामस्वरूप बहुत ही अजीब और कठिन परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। नियम कानूनी प्रावधानों के विपरीत, सहानुभूति और रियायतों की दलील के सामने सीधे खड़े हो जाते हैं.. ।"

10. वर्तमान मामले में, जिस कॉलेज में छात्र को दाखिला दिया गया था, उसने सभी संभावित नियमों का उल्लंघन करते हुए उसे न केवल पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी, बल्कि परीक्षा भी देने की अनुमति दी, जो पूरी तरह से अवैध था।

11. इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और खंडपीठ के फैसले को रद्द कर देते हैं और रिट याचिका को खारिज करने वाले एकल पीठ के फैसले को बहाल करते हैं।

अपील स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **रेणू सिंगला (आर. जे. एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।